उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन अपील वाद संख्या– 34 / 2023

अर्जुन ठाकुर वगै० बनाम् राज्य एवं रामप्यारी देवी वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
09/01/24	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी 1. अर्जुन ठाकुर, 2. बिनोद ठाकुर, दोनों के पिता–गोदई ठाकुर, ग्राम+पो०–बड़गॉव, थाना–माण्डू (वेस्ट बोकारो, ओ०पी०), जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर परमिशन वाद संख्या–136 / 2021–22 रामप्यारी देवी बनाम् बिजली देवी में दिनांक–30.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) of C.N.T Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–बडगॉव, थाना नं०–166 थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ के खाता नं०–70, प्लॉट नं०–301, कुल रक़वा–0.07 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि भूमि मौजा–बडगॉव, थाना नं०–166 थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ के खाता नं०–70, प्लॉट नं०–301, कुल रकवा–0.07 ए० भूमि सर्वे खतियान में चुरामन ठाकुर कौम हजाम नाम से रैयती दर्ज है। वर्त्तमान पंजी–II के पृष्ठ सं०–43 / I पर खाता सं०–70 रकवा–1.82 कुल रकवा–9.26 ए० भूमि शहबनिया, पति–दुखीया नउवा के नाम से दर्ज है। लगान की वसूली वर्ष–2015–16 तक निर्गत है। अपीलार्थी का कहना है कि बिक्रेता रामप्यारी देवी, पति–स्व० गौदई ठाकुर की दुसरी पत्नी है। और गौदई ठाकुर के मृत्यू के पश्चात् सी०सी०एल० से पेंशन प्राप्त कर रही है। जबकि आपत्तिकर्ता गौदई ठाकुर के पहली पत्नी आशा देवी के पुत्र है। इस प्रकार बिना किसी अधिकार एवं बिना आपसी सहमति के रामप्यारी देवी द्वारा भूमि बिक्री की गई है, जो नियमसंगत नहीं है। उन्होनें आगे कहा है कि मेरे द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में आपत्ति आवेदन दिया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ ने आपत्ति आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, माण्डू से आपत्ति आवेदन पर जाँच प्रतिवेदन बिना प्राप्त किये आदेश पारित किया गया। आपत्ति आवेदन पर बिना जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किये निम्न न्यायालय द्वारा भूमि बिक्री संबंधी अनुमति का	

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पारित किया गया, जो नियमसंगत नहीं है। उन्होने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को कहना है कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील खारिज करने योग्य है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा परमिशन हेतु दायर आवेदन पर अंचल अधिकारी, माण्डू से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुमति हेतु आदेश पारित किया गया है। उनका कहना है कि आशा देवी पति–स्व० गोदय ठाकुर ने विपक्षी से अचल संपत्ति में सुलह कर प्राप्त रकम का भुगतान प्राप्त करती थी। इस प्रकार स्व० गोदय ठाकुर की अचल सम्पत्ति पर अधिकार नहीं है। स्व० गोदय ठाकुर ने अपनी अचल सम्पत्ति को तीन पुत्रों में बॉट दिया। अचल सम्पत्ति को तीन भागों में बॉटकर सभी पुत्र अपने हिस्से से प्राप्त भूमि पर दखलकार हुए और अपने–अपने हिस्से पर कृषि कर रहे है। इस बीच गोदय ठाकुर का स्वर्गवास (मृत्यु) होने के बाद रामप्यारी देवी पति–स्व० गोदय ठाकुर के पुत्र स्व० पवन ठाकुर की मृत्यु दिनांक–25.06.2021 को हो गई। स्व० पवन ठाकुर की मृत्यु के पश्चात अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी पवन ठाकुर की माँ रामप्यारी में निहित स्व० पवन ठाकुर, पिता–स्व० गोदय ठाकुर से प्राप्त भूमि है। इस प्रकार पुत्र की मृत्यु के बाद मृतक की पत्नी, माता–पिता मृतक के पुत्र एवं पुत्री को प्राप्त होता है। स्व० पवन ठाकुर अविवाहित था। उसकी सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पत्ति उसकी माता जो जीवित है, चूँकि पिता का मृत्यु पूर्व ने हो चुकी है। इस प्रकार स्व० पवन ठाकुर सारी–सम्पत्ति रामप्यारी देवी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा परमिशन वाद संख्या–136/2021 का आदेश न्यायोचित है जिसे बरकरार रखने कीं आवश्यकता है जो न्याय संगत है।

सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि मामला आपसी बँटवारा एवं स्वत्व से संबंधित है। जिसका निराकरण सक्षम न्यायालय में ही की जा सकती है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। अपीलार्थी के अनुसार गोदय ठाकुर की दो पत्नियॉ थी। भूमि पर दोनों का समान अधिकार है। लेकिन रामप्यारी देवी द्वारा अकेले भूमि का बिक्री किया गया है, जो नियमसंगत नहीं है। साथ ही साथ भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में आपत्ति के बाद भी बिना सुनवाई के आदेश पारित किया गया, जो नियमसंगत नहीं है। जबकि विपक्षी का कहना है कि गोदय ठाकुर के द्वारा पहली पत्नी आशा देवी से अचल सम्पत्ति के संबंध में सुलह कर अपने तीनों पुत्रों को अचल सम्पत्ति को तीनों भागों में बॉट कर दे दिये थे। बिक्रेता अपने हिस्से की भूमि बिक्री की है, जो नियमसंगत है। लेकिन किसी पक्षों के द्वारा आपसी बॉटवारा से संबंधी वैध कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा बिना आपत्ति आवेदन के जाँच के ही आदेश पारित किया गया है, जो नियमसंगत नहीं है।

मामला आपसी बँटवारा एवं स्वत्व से संबंधित प्रतीत होता है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा परमिशन वाद संख्या–136/2021–22 रामप्यारी देवी बनाम् बिजली देवी में दिनांक–30.12.2022 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए वाद को Remand किया जाता है एवं निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि सभी पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए एवं पुनः जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई करते हुए Fresh आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 09/01/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 09/01/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.02.03 12:26:57 +05:30
Location: 192.168.0.37

Scanned with OKEN Scanner